न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 254 / 2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. भगवानसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मु0 केशर कंवर बेवा रूपसिंह जाति राजपूत मृत्तक के बजाय–
   2/1–भगवान सिंह पिता रूपसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   2/2–मु0 लाडकंवर पुत्री रूपसिंह पत्नी नारायण सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   2/3–मु0 नन्दा कुंवर पुत्री रूपसिंह पत्नी ओनाड़सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी नारायणपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
   2/4–मु0 प्रकाश कुंवर पुत्री रूपसिंह पत्नी कानसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी डेलाना तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

—— वादी

बनाम

1. नाहरसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. अभयसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. गोविन्दसिंह पिता माधुसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. तेजसिंह मुतबन्ना गुलाबसिंह जाति राजपूत मृत्तक के बजाय–
   4/1–भवानी सिंह पिता तेजसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   4/2–बरजू कंवर पत्नी रतनसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी आरथला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
   4/3–कैलाश कंवर पत्नी अभयसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी पावटिया तहसील ओणूंद जिला चित्तौड़गढ़।
   4/4–पुष्पा कंवर पत्नी नारायण सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी उदयसिंहजी की भागल पो0 बिनोता तहसील बडी सादडी जिला चित्तौड़गढ़।
5. सुल्तान सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. मु0 दरियाव बाई पत्नी नाहर सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. सूर्यवीर सिंह पिता होकमसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. मु0 खुशीकंवर पुत्री होकमसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. मु0 लीला कंवर बेवा होकमसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. राज्यसरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

11.रतनसिंह पिता रूपसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 27.03.2026

—:निर्णयः—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा कांकरिया तहसील कपासन में साबीक पैमायश की खाता नं0 85 में कृषि आराजीयात आ0नं0 106, 141 मी0, 142 मी, 143, 145, 238, 239, 247, 248, 284, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 458/17 कुल किता 22 कुल रकबा 82 बिघा 8 बिस्वा थी जो साबीक राजस्व रेकार्ड में रूपसिंह पिता चतरसिंह 1/2, माधु सिंह, रामसिंह पिता हमेरसिंह, तेजसिंह मुतबन्ना गुलाबसिंह 3/8, सुल्तान सिंह पिता लक्ष्मणसिंह 1/8 राजपूत निवासी कांकरिया के नाम दर्ज थी। इस प्रकार उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी।

यह कि उक्त खातेदारी में से रूप सिंह जी की मृत्यु हो गई व उनके वारीस वादीगण व प्रतिवादी नं0 11 है और माधुसिंह जी की भी मृत्यु हो गई और उनके वारीस पुत्र भंवरसिंह, कालुसिंह, प्रतिवादी नं0 3 गोविन्द सिंह थे और इनमें से भंवरसिंह की मृत्यु हो गई और कालु सिंह की भी मृत्यु हो गई और उनके वारीस होकम सिंह जी की भी मृत्यु हो गई और उनके वारीस प्रतिवादी नं0 7, 8, 9 है। इसी प्रकार रामसिंह जी की मृत्यु हो जाने से उनका हिस्सा उनके वारीस प्रतिवादी नं0 1, 2 के नाम पर दर्ज है।

यह कि उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का सेटलमेन्ट के दौरान विभाजन कर आराजीयात अलग अलग दर्ज कर दी व कुछ आराजीयात अभी भी शामलाती खाते में ही दर्ज है यानि राजस्व रेकार्ड में पुख्ता विभाजन नही हुआ हैं तथा पक्षकारान के कब्जे में जो आराजीयात हैं वह भी सही प्रकार से रेकार्ड में दर्ज नही की गई है। साबीक पैमायश की उक्त आराजीयात के हाल पैमायश में नये नम्बर कायम होकर नये खातो में उक्त आराजीयात दर्ज की गई हैं जिसका विवरण निम्न है:—

खाता नं0 4 में दर्ज आ0नं0 218, 365, 366, 604, 607, 608, 609, 620, 633, 635, 646, 647, 654, 655, 763, 766, 777, 798, 803 कुल किता 19 कुल रकबा 2.88 हैक्ट0 जो प्रतिवादी नं0 1, 2 नाहरसिंह, अभयसिंह के नाम दर्ज है।

खाता नं0 36 में दर्ज आ0नं0 122, 125, 158, 161, 219, 375, 572, 573, 574, 575 कुल किता 10 कुल रकबा 3.71 हैक्ट0 जो प्रतिवादी नं0 3 गोविन्द सिंह के नाम पर दर्ज है।

खाता नं0 37 में दर्ज आ0नं0 775—789 कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 हैक्ट0 जो प्रतिवादी नं0 3 गोविन्द सिंह के नाम पर दर्ज है।

खाता नं0 38 में दर्ज आ0नं0 160 रकबा 0.32 हैक्ट0 जो प्रतिवादी नं0 3 गोविन्द सिंह 2/3 तथा प्रतिवादी नं0 7, 8, 9 का 1/3 हिस्सा दर्ज है।

खाता नं0 60 मे दर्ज आराजी नं0 644, 645, 656, 657 कुल किता 4 कुल रकबा 0.13 हैक्ट0 जो प्रतिवादी नं0 1, 2, 4 के नाम पर दर्ज है।

खाता नं0 61 में दर्ज आराजी नं0 133, 134, 135, 136, 220, 374, 568, 569, 571, 580, 619, 630, 634, 648, 764, 765, 778, 799, 805 कुल किता 19 कुल रकबा 5.11 हैक्ट0 जो प्रतिवादी नं0 4 के नाम पर दर्ज है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

खाता नं0 154 में दर्ज आ0नं0 359 रकबा 1.17 हैक्ट0 जो वादीगण व प्रतिवादी नं0 11 1/2 प्रतिवादी नं0 5 के 1/2 हिस्सा से दर्ज है।

खाता संख्या 155 में दर्ज आ0नं0 750, 788, 790, 791, 1228/785, 1230/745, 1233/780 कुल किता 7 कुल रकबा 0.62 हैक्ट0 जो वादीगण प्रतिवादी नं0 11 का 1/2, प्रतिवादी नं0 6 दरियाव बाई का कालु सिंह पिता माधुसिंह जी का क्रयशुदा 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1, 2, 4 का 2/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 5 का 1/8 हिस्सा दर्ज है।

खाता नं0 157 में दर्ज आ0नं0 216, 367, 567, 570, 576, 577, 606, 618, 631, 767, 773, 785, 800, 801, 802 कुल किता 15 कुल रकबा 6.11 हैक्ट0 जो वादीगण के नाम पर दर्ज हैं।

खाता नं0 201 में दर्ज आ0नं0 578, 579, 605, 621, 632, 774, 784, 793, 794, 796, 804 कुल किता 11 कुल रकबा 1.60 हैक्ट0 जो प्रतिवादी नं0 5 सुल्तान सिंह के नाम पर दर्ज हैं।

इस प्रकार साबिक पैमायश की खाता नं0 85 में दर्ज कुल 82 बिघा 8 बिस्वा आराजीयात संयुक्त खातेदारी की थी और हाल पैमायश में उक्त आराजीयात वादपत्र की कॉलम संख्या 3 में वर्णित खाता नं0 436–37–38–60–61–154–155–157–201 में पृथक पृथक व संयुक्त खातेदारी में दर्ज की गई है मगर उक्त अंकन पुख्ता व सही नही किया है व विभाजन भी सम्पूर्ण आराजीयात का व सही नही किया गया है तथा पक्षकारों के नाम पर उनकी कब्जेशुदा आराजीयात को सही दर्ज नही किया गया है। वादीगण के हिस्से की साबिक पैमायश की कुल 82 बिघा 8 बिस्वा जमीन में से 1/2 हिस्से के अनुसार 41 बिघा 4 बिस्वा आती है। व इसमें से साबिक आ0नं0 106 रकबा 2 बिघा 12 बिस्वा में से प्रतिवादी नं0 11 व वादीगण ने 1/2 हिस्से की यानि 1 बिघा 6 बिस्वा जमीन पूर्व में लाड कुंवर पत्नी नवल सिंह जाति राजपूत को विक्रय कर दी थी अतः वादीगण व प्रतिवादी नं0 11 के हिस्से में कुल 40 बिघा 2 बिस्वा जमीन रही थी और हाल पैमायश में वादीगण व प्रतिवादी नं0 11 के नाम पर वादपत्र की कॉलम संख्या 3 में वर्णित खाता नं0 154 की आ0नं0 359 रकबा 1.17 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा एवं वर्णित खाता संख्या 155 में स्थित कुल किता 7 कुल रकबा 0.62 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा तथा वर्णित खाता संख्या 157 में वर्णित कुल किता 15 कुल रकबा 6.11 हैक्ट0 ही दर्ज किया है जबकि प्रतिवादी नं0 11 व वादीगण के हिस्से व कब्जे में निम्न आराजीयात भी चली आ रही है जो पूर्व में आपसी सहमति व स्वीकृति से वादीगण के हिस्से की है मगर हाल पैमायश में दर्ज नही की है।

वादपत्र की कॉलम संख्या 3 में वर्णित दर्ज खाता संख्या 4 की आ0नं0 604 रकबा 0.11 हैक्ट0, आ0नं0 633 रकबा 0.07 हैक्ट0, आ0नं0 635 रकबा 0.16 हैक्ट0, आ0नं0 766 रकबा 0.02 हैक्ट0, आ0नं0 803 रकबा 0.19 हैक्ट0 तथा दर्ज खाता नं0 61 की आ0नं0 634 रकबा 0.16 हैक्ट0, 374 रकबा 0.39 हैक्ट0 तथा दर्ज खाता संख्या 155 की आ0नं0 750 रकबा 0.03 हैक्ट0, आ0नं0 1228/785 रकबा 0.04 हैक्ट0, 1230/745 रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.17 हैक्ट0 का बकाया 1/2 हिस्सा पूर्व में ही वादीगण के नाम दर्ज है। तथा खाता संख्या 201 की आ0न0 605 रकबा 0.20 हैक्ट0, आ0नं0 632 रकबा 0.08 हैक्ट0, आ0नं0 765 रकबा 0.02 हैक्ट. इस प्रकार उपरोक्त खाता नं0 4, 61, 155, 201 में दर्ज उपरोक्त आराजीयात का कुल रकबा 1.48 हैक्ट0 प्रतिवादी नं0 11 व वादीगण के नाम दर्ज होने से रह गया है जबकि उक्त आराजीयात प्रतिवादी नं0 11 व वादीगण के हिस्से व कब्जे में पूर्वजों के समय से चली आ रही है और सेटलमेन्ट में दर्ज होने से रह गई है व अन्य प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है अतः उक्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी नं0 11 के नाम पर दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा हाल में उक्त गलत ईन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण दस्तन्दाजी करने की धमकी देते है अतः निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त ईन्द्राज को दुरूस्त कराने व पुख्ता विभाजन कराने हेतु कहा तो विवाद करते है अतः बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 01.11.2016 से है व निरन्तर जारी है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

अन्त में निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 11 के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किए जाने की डिक्री प्रदान की जावे कि मौजा कांकरिया तहसील कपासन में स्थित वादपत्र की कॉलम नं0 4 में वर्णित खाता नं0 4, 61, 155, 201 में दर्ज आ0नं0 604, 633, 635, 766, 803, 634, 374, 605, 632, 765 सम्पूर्ण व आ0 नं0 750, 1228/785, 1230/745 का बकाया 1/2 हिस्सा के प्रतिवादी नं0 11 व वादीगण खातेदार काश्तकार होकर काबिज है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है जो गलत है अतः उसको दुरुस्त कर वादीगण के नाम पर दर्ज की जावें।

यह कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रदान की जावें कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 11 के कब्जे व खातेदारी की उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 कोई दखलन्दाजी नही करें व काश्त में रूकावट नही डाले व आराजीयात खुर्द बुर्द नही करें व राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नही करें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच का अधिकार पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9, 11 हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 24.07.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से दिनांक 03.04.2025 को जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 4/1 से 4/4, 5, 6 के हाजिर नहीं आने से दिनांक 04.02.2026 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्यवादी में भगवान सिंह, भीमसिंह, रघुनाथ सिंह के शपथ पत्र पेश जो शा0फा0 है। बहस वादपत्र अन्तिम वादी अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। मौजा कांकरिया तहसील कपासन में साबीक पैमायश की खाता नं0 85 में कृषि आराजीयात आ0नं0 106, 141 मी0, 142 मी, 143, 145, 238, 239, 247, 248, 284, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 458/17 कुल किता 22 कुल रकबा 82 बिघा 8 बिस्वा थी जो साबीक राजस्व रेकार्ड में रूपसिंह पिता चतरसिंह 1/2, माधु सिंह, रामसिंह पिता हमेरसिंह, तेजसिंह मुतबन्ना गुलाबसिंह 3/8, सुल्तान सिंह पिता लक्ष्मणसिंह 1/8 राजपूत निवासी कांकरिया के नाम दर्ज थी, जो कि साबिक जमाबन्दी से स्पष्ट है, व रूपसिंह पिता चतरसिंह हिस्सा 1/2 के वारीसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 11 है, उक्त 1/2 हिस्से में वादीगण की कुल 41 बीघा 4 बिस्वा भूमि होती है मगर हाल सेटलमेन्ट में उक्त के बजाय वादीगण के हिस्से में लगभग 1.64 हैक्ट0 भूमि कर्म दर्ज की गई। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा कांकरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन की आराजी सख्या 604, 633, 635, 766, 803, 634, 374, 605, 632, 765 में दर्ज सम्पूर्ण रकबा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 11 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है, व आराजी संख्या 750, 1228/785, 1230/745 में दर्ज दरियाव पत्नी नाहरसिंह, अभयसिंह, नाहरसिंह पिता रामसिंह, तेजसिंह मुतबन्ना गुलाबसिंह, सुल्तान सिंह पिता लक्ष्मण सिंह के बजाय वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 11 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट—ट्रेक) कपासन

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन